प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 29.09.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. **नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार,थाना ठाकुरद्वाराः-**

अवगत कराना है दिनांक 28.09.2024 को वादी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसालकर भगा ले जाने तथा वादी व वादी की पत्नी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने तथा वादी की पुत्री को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0- 427/2024 धारा-137(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में साक्ष्य संकलन/विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में लड़की को सकुशल बरामद करते हुये तथा साक्ष्यों/बयानो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-64(1) बीएनएस व 3 /4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा आज दिनांक 29-09-2024 को उ0नि0 विनित कुमार थाना ठाकुरद्वारा के द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी विवेक पुत्र परमसिंह निवासी ग्राम पानूवाला थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. गौवंशीय पशु के अवशेष फेकने के 02 आरोपी गिरफ्तार,थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है दिनांक 24.09.2024 को उ0नि0 श्री हरीशंकर यादव थाना भोजपुर द्वारा अज्ञात अभियुक्तगणो द्वारा गन्ने के खेत में गौवंशीय पशु का सिर व खाल आदि अवशेष फैक देने के संबंध मे थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 408/2024 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में व0उ0नि0 मुरलीधर चौहान थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आज दिनांक 29-09-2024 को संबंधित मुकदमा उपरोक्त से प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1- मुस्तकीम पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला गुलाबबाडी कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद, 2.मुन्नवर पुत्र शहजादे निवासी मिठामई थाना बिसौली जनपद बदायू हाल निवासी मौहल्ला धीमरी थाना मझौला जनपद मुरादाबाद को घटना मे प्रयुक्त महिन्द्रा बुलेरो पिकएप गाडी के साथ गिरफ्तार किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

3. वाहन चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की 02 बाईक बरामद, थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 29.09.2024 को उ0नि0 अनिल कुमार थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त 1- हाशिम पुत्र नवाब, 2- मुस्तकीम पुत्र बाबू निवासीगण मिलक झादेवाली थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को 02 चोरी की मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना भोजपुर पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0- 412/2024 धारा- 35/106 बीएनएस व 317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4. **अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार,थाना छजलैटः-**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी, अवैध शस्त्र धारको पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधीयो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29.09.2024 को उ0नि0 बालकिशन सिंह थाना छजलैट द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी परशुराम पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम मघपुरी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को अवैध एक तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना छजलैट पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 206/2024 धारा- 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

5. गैंगस्टर एक्ट का आरोपी गिरफ्तार,थाना भगतपुरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद नें साक्ष्यो/गैंग चार्ट के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाकर भौतिक/बुनियादी लाभ हेतु एक राय होकर अपने साथियो के साथ मिलकर लूट कारित करने जैसे जघन्य अपराध कारित करने के संबंध में थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0- 78/2024 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम मोहित आदि पंजीकृत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध /अपराधीयो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 29.09.2024 को उ0नि0 संजय कुमार थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त मोहित पुत्र देवेन्द्र सिहं निवासी ग्राम समदा चतुर्भुज थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

आपराधिक इतिहासः-

1. .मु0अ0सं0 176/2021 धारा 392/411 भादवि0 थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0सं0 180/2021 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
3. मु0अ0सं0 78/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

6. थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 29.09.2024 को उ0नि0 अजय दुबे थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल द्वारा NBW/ वारंटी अभि0 नफीस पुत्र अलीजान निवासी ग्राम रूस्तमपुर तिगरी थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद, मु0न0- 3496/2020 अ0सं0 93/19 धारा 420/406/506 भादवि0 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

7. थाना कटघर पुलिस द्वारा 01 वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 29.09.2024 को उ0नि0 दीपक चौहान थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिसबल द्वारा NBW/ वारंटी अभि0 दिनेश कुमार पुत्र शम्भूनाथ निवासी ग्राम मछरिया थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, मु0न0- 2145/21, अ0सं0- 655/21, धारा- 144/147 आर एक्ट को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

8. जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 03 आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29.09.2024 को **थाना कटघर** पुलिस द्वारा शान्ति भंग कर रहे आरोपी 1- जीतु पुत्र लेखराज सिंह निवासी बसन्तबिहार पीतलबस्ती थाना कटघर जनपद मुरादाबाद,तथा **थाना कोतवाली नगर** पुलिस द्वारा आरोपी 1- सानू सैनी पुत्र राकेश सैनी, 2- रोहित सैनी पुत्र शंकर लाल सैनी निवासीगण मानपुर बुद्धबाजार थाना कोतवाली नगर जनपद मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।